सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 20.10.2024

ऑटो की लूट करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 ऑटो (लूटा हुआ) किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना लवेदी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.09.2024 को वादी आकाश राजपूत पुत्र राजेश राजपूत निवासी राजपूत कालोनी रामलीला रोड थाना कोतवाली जनपद इटावा द्वारा थाना लवेदी पर सूचना दी कि जब वह अपना ऑटो लेकर मानिकपुर मोड़ पर खड़ा था तभी 03 व्यक्ति ने चिन्डौली गांव के लिये उसका ऑटो बुक किया और जब बह ददौरा पुलिया के पास पहुंचे तभी उन तीनो ने ऑटो चालक के हाथ बाँधकर ऑटो, मोबाइल, एक हजार रुपये को छीनकर भाग गये। **जिसके संबंध में थाना लवेदी पर मु0अ0सं0 38/2024 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 19/20.10.2024 को थाना लवेदी पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत कन्धेसी घार यमुना पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 01 ऑटो बहादुरपुर घार की ओर से आता हुआ दिखायी दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो ऑटो चालक द्वारा ऑटो को रोककर भागने का प्रयास किया गया जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 02 अभियुक्तों को **यमुना पुल कँधेसी घार के पास से समय करीब 03.15 बजे** गिरफ्तार किया गया।

नोटः- **अभियुक्त पंकज पुत्र सतीश अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा बरामद ऑटो के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि यह ऑटो हम दोनों एवं हमारे अन्य साथी पंकज ने दिनांक 13.09.2024 को लूटा था एवं ऑटो ड्राइवर से 01 मोबाइल व 1,000/- रूपये भी लूटे थे जिन्हें हमारा साथी पंकज ले गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लवेदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2024 धारा 309(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रमन पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर केसोराय थाना नयागाँव जनपद एटा **उम्र 20 वर्ष।**
2. लालू पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम सूरजपुर थाना बिछवा जनपद मैनपुरी **उम्र 21 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 38/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना लवेदी जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. **01 ऑटो नं0 UP 75BT 3577 (लूटा हुआ)**

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री कपिल चौधरी थानाध्यक्ष लवेदी, उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, का0 नीशू कुमार, का0 सनी, का0 चालक आकाश कुमार।